# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 1216 सन 2024
अनवान :–

1. प्रतापसिह पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

**वादी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. अर्जन पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. भंवरी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. सुमित्रा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

**तरतीबी प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :–** 11/03/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की 24.08 बीधा भूमि वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर को दिनांक 24.01.1973 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा भावलदेसर के हाल खसरा न0 52 की 24.08 बीधा, को हैक्टयर में परिर्वतन कर रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की 6.1100हैक में पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

देवीलाल पुत्र जोधाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जिसके वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र जोधाराम के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मोजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की भूमि दिनांक 24.01.1973 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी देवीलाल पुत्र जोधाराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम [illegible] खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी देवीलाल पुत्र जोधाराम के [illegible] उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को [illegible] दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी [illegible] के पूर्वजो को आवंटित की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 349 के खसरा न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

52/1 की 6.1100हैक्‍ भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 349 के खसरा न0 52/1 की 6.110हैक्‍ भूमि जो वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को दिनांक 24.01.1973 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 तरतीबी प्रतिवादीगण है जिनका अनुतोष वादी के अनुतोष में निहित है इसलिये तर्क किया गया तलबी की आवश्यकता नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की 24.08 बीधा भूमि वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को दिनांक 24.01.1973 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की 24.08बीधा, भूमि पैमाईश में वर्तमान खसरा न0 52 की 24.08 बीधा भूमि को हैक्टयर में परिर्वतन किया जाकर खसरा न0 52/1 की 6.1100हैक्‍ में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

देवीलाल पुत्र जोधाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 है जिसके वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र जोधाराम के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वाद भूमि रोही मोजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की 6.1100हैक्‍ भूमि दिनांक 24.01.1973 को वादी को आवंटन [illegible] वादीगगण के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद [illegible] देवीलाल पुत्र जोधाराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 [illegible] रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 349 के खसरा न0 52/1 की 6.1100हैक् भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा भावलदेसर के हाल खसरा न0 52 की कुल 24.08 बीधा भूमि देवीलाल पुत्र जोधाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर को दिनांक 24.01.1973 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि देवीलाल पुत्र जोधाराम जाति नायक का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 ता 6 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र जोधाराम के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात वाद भूमि देवीलाल पुत्र जोधाराम को दिनांक 08.06.1973 को वाद भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश/नामान्तकरण से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 52 की 24.08 बीधा भूमि को हैक्यर में परिर्वतन किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 52/1 की 6.1100हैक् भूमि में पैमुद किया गया है जो वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को रोही मौजा भावलेदसर के खसरा न0 52 की 24.08 बीधा अर्थात 52/1 की 6.1100 हैक भूमि आवंटन की गई थी। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पाने के अधिकारी नही है

वादीगण के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को रोही मौजा भावदेसर के खसरा न0 52 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 52/1 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 52/1 की भूमि वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को दिनांक 08.06.1973 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगगण के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि [illegible] देवीलाल पुत्र जोधाराम को आवंटन दिनांक 08.06.1973 को आवंटन की गई [illegible] आवं[illegible] आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 08.06.1973 [illegible] काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता मोहनराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व ( कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन ) नियम 1970 के [illegible] अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवे[illegible] और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया [illegible] का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने [illegible] हकदार होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:41 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम जाति नायक ( जो अनूसूचित जाति वर्ग का सदस्य है ) को रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 52 हाल खसरा न0 52/1 की 6.1100हैक भूमि आवंटन दिनांक 08.06.1973 को आवंटन की गई थी प्रस्तुत आवंटन आदेश नामान्तकरण से पूर्णत्या साबित है आवंटि देवीलाल पुत्र जोधाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्ता विवेचन से पूर्णत्या साबित है कि वादी /आवंटी देवीलाल पुत्र जोधाराम को रोही मौजा भावलदेसर के साबिका खसरा न0 52 की 24.08 बीधा भूमि दिनांक 08.06.1973 को आवंटन की गई थी जिसे हाल खसरा न0 52/1 की 6.1100हैक में परिर्वतन पैमुद की गई है वाद भूमि आवंटन के समय से पूर्व में वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम के कब्जा काश्त में थी वादी के पिता देवीलाल के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के आदिनांक तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ऐसी भूमिया जो पूर्व में बारानी क्षेत्र मे थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु समय समय पर परिपत्र /अधिसुचनाऐं जारी की गई है वादी/आवंटी उक्त अधिसुचनाओ/परिपत्र के परिपेक्ष में खातेदारी अधिकारी पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 349 के खसरा 52/1 की 6.1100हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बहिब का खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:41 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

**अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. प्रतापसिह पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

**वादी**

**बनाम**

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. अर्जन पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. भंवरी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. सुमित्रा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

**तरतीबी प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 1216 सन 2024 निर्णय दिनांक – 11/03/2025**

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 349 के खसरा 52/1 की 6.1100हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:41 IST
Reason: SelfAttested